पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
उत्तर प्रदेश
नागरिक चार्टर

(बेबसाइट http://backwardwelfare.up.nic.in)

वर्ष 2015-2016

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का संगठनात्मक ढाँचा

पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय

जोनल स्तर पर

उप निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण

जनपद स्तर पर

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि0 का संगठनात्मक ढाँचा

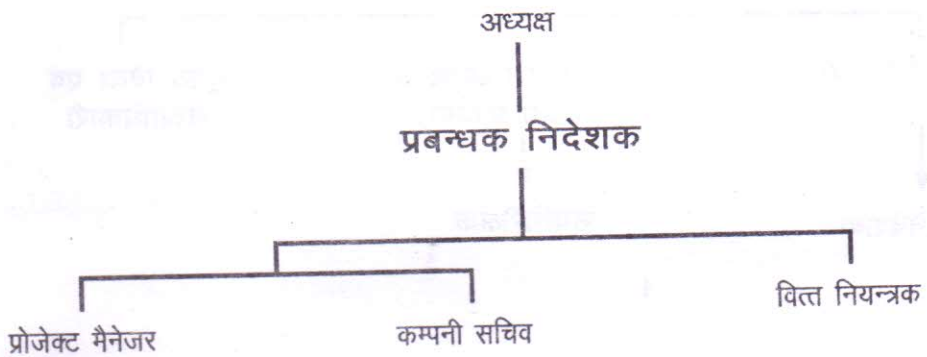

जोनल स्तर पर

उप निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण पदेन मण्डलीय प्रबन्धक
उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवम् विकास निगम लिमिटेड

जनपद स्तर पर

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी पदेन जिला प्रबन्धक
उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का संगठनात्मक ढाँचा

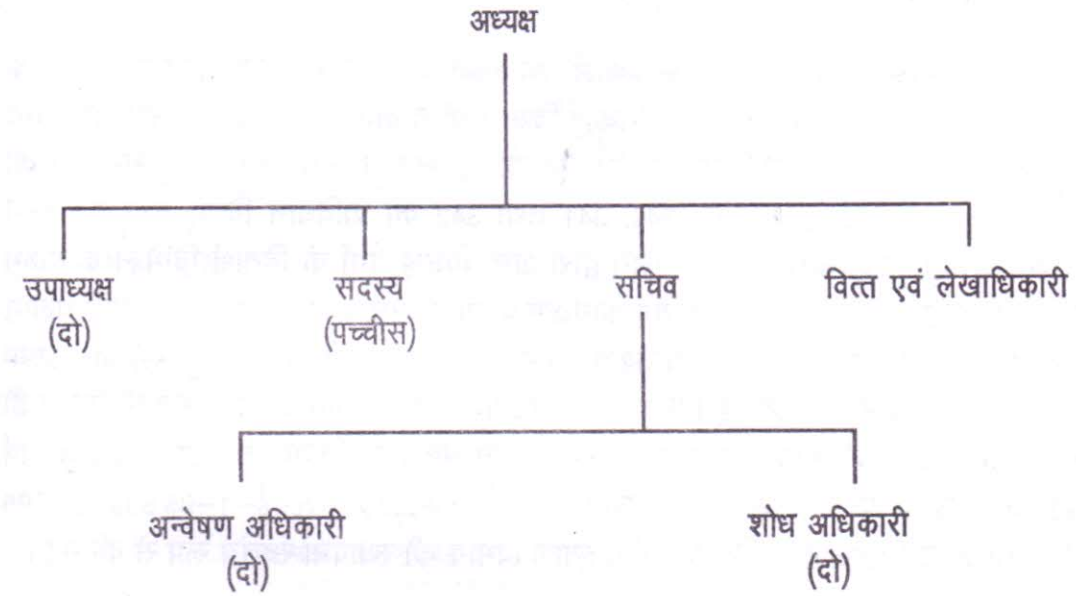

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

धर्म निरपेक्षता और प्रजातांत्रिक प्रणाली को आधार मानकर भारतीय संविधान में देश के सभी नागरिकों को जहाँ समानता का अधिकार दिया गया है वहीं समाज के कमजोर और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक रूप से ऊँचा उठाने हेतु संविधान की धारा 14, 15, 16, 335, 338, 339, 340, 341 तथा 342 का प्राविधान किया गया है। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के हितार्थ विभिन्न कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। वर्ष 1995–96 तक यह कार्यक्रम प्रदेश के समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाये जा रहे थे। उत्तर प्रदेश की 54.05 प्रतिशत (सामाजिक न्याय समिति के अनुसार) जनसंख्या पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित है और इतनी बड़ी जनसंख्या के विकास एवं कल्याण हेतु निःसन्देह ही एक स्वतंत्र विभाग की आवश्यकता का अनुभव बहुत पहले से किया जा रहा था। अतः वर्ष 1995–96 में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शासनादेश संख्या 4056/बीस–ई–1–95'539 (2)/95 दिनांक 12 अगस्त 1995 द्वारा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की स्थापना स्वतंत्र रूप से की गई।

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत वर्तमान में पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि0 तथा उ0प्र0 राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संचालित है।

उ0प्र0 राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन शासनादेश संख्या– 22/16/92–कार्मिक–2 दिनांक 09 मार्च 1993 में किया गया था जो राज्याधीन सेवाओं में पिछड़े वर्गों हेतु अनुमन्य आरक्षण, पिछड़े वर्ग की सूची में अपेक्षित जातियों का समावेश करने अथवा निष्कासित करने का कार्य कर रहा है।

उ0प्र0 पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि0 की स्थापना शासनादेश संख्या–3459/26–03–89–9(51)89, दिनांक 20 सितम्बर 1989 द्वारा की गयी है, जो पिछड़े वर्ग के कमजोर वर्ग के लोगों के आर्थिक उत्थान हेतु परियोजनाएं स्थापित करने के लिए उन्हें ऋण उपलब्ध कराने का कार्य कर रहा है।

पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 की स्थापना शासनादेश संख्या–1826/26–2–95 दिनांक 20 सितम्बर 1995 द्वारा की गयी है तथा निदेशालय, मण्डल एवं जिला स्तर पर राजपत्रित/अराजपत्रित पदों का सृजन कर कार्यालय संचालित है। संगठनात्मक ढांचा पृष्ठ–1, 2 व 3 पर उपलब्ध है।

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रम एक दृष्टि में

(1) पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 द्वारा संचालित योजनायें

क्रं. सं.	योजना का नाम	पात्रता	छात्रवृत्ति की दर (प्रतिमाह)			अर्हता / प्रक्रिया
			कक्षा	दिवा छात्र	आवासीय छात्र	
1	2	3	4	5	6	7
	पिछड़े वर्ग की छात्रवृत्ति योजना					वित्तीय वर्ष 2015–2016 हेतु यह योजना स्थगित रखी गयी है।
	1. पूर्वदशम छात्रवृत्ति					
(अ)	कक्षा 1 से 8	पिछड़े वर्ग के सभी छात्र/ छात्राओं को	1. कक्षा 1–5 तक रू. 25/– मासिक 2 कक्षा 6–8 तक रू. 40/– मासिक			